राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(3) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010/पार्ट–।। जयपुर, दिनांकः 29 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लेने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में इस समय कई जिलों में श्रमिकों का नियोजन बहुत अधिक हो रहा है। इस प्रकार कार्य बढ़ जाने के कारण ऑनलाईन मस्टररोल जारी करने, पखवाड़ा समाप्ति पर मस्टररोल में श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने, उनके द्वारा किये गये कार्य की माप, मजदूरी की दर, कुल मजदूरी आदि कम्प्यूटर में फीड करने एवं वेजलिस्ट तैयार करने में विलम्ब हो रहा है। परिणामस्वरूप श्रमिकों के भुगतान में भी 15 दिन से अधिक का विलम्ब हो रहा है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम–2005 के प्रावधानो के अनुसार पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। एमआईएस फीडिंग को देखने से स्पष्ट है कि कई जिलो में जारी की गई मस्टररोल एवं भुगतान की गई मस्टररोल के बीच में भारी अन्तर है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश जिलो में काफी संख्या में मस्टररोल भुगतान करने से शेष है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है कि प्रत्येक मस्टररोल का भुगतान निर्धारित अवधि में हो। यह सम्भव है कि कुछ पंचायत समितियों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत चार पद एवं कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के एक पद में से कुछ पद रिक्त हों। इस कारण से भी भुगतान में विलम्ब हो रहा हो। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों को संविदा के आधार पर भरने पर वित्त विभाग की ओर से प्रतिबन्ध है। स्टाफ की कमी के कारण कम्प्यूटर में इन्द्राज करने एवं भुगतान में विलम्ब नहीं हो इसके लिए आपको निर्देश दिये जाते है कि :–

1. सर्वप्रथम पंचायत समिति में वर्तमान में नियोजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर मय ऑपरेटर का पूरा–पूरा उपयोग कर उनके माध्यम से ही कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री आदि का कार्य कराया जावे।
2. यदि पंचायत समिति में श्रमिको का नियोजन बहुत अधिक है तो ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा एजेन्सी के माध्यम से या सीधे अनुबंध पर लगाये हुए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के माध्यम से पंचायत समिति में डाटा एन्ट्री का कार्य करवाया जावे।
3. यदि पंचायत समिति में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद रिक्त है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर भी लगाये हुए नहीं है तो पंचायत समिति में रिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के विरूद्ध सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं दिनांक 31.07.2012 तक ली जा सकती हैं।
4. यदि उक्तानुसार रिक्त पदों पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं सेवा एजेन्सी के माध्यम से लेने के बाद भी एमआईएस फीडिंग एवं डाटा एन्ट्री का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं सेवा एजेन्सी के माध्यम से

दिनांक 31.07.2012 तक ली जा सकती है, लेकिन यह सेवाएं तब ही ली जावें जब पंचायत समिति में श्रमिकों का नियोजन प्रति पखवाड़ा 25000 से अधिक हो। 25000 से अधिक श्रमिकों का नियोजन होने पर प्रति 5000 श्रमिकों पर एक तथा अधिकतम 5 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं ली जा सकती हैं।

5. पंचायत समिति स्तर पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं सेवा एजेन्सी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के पद के विरूद्ध ली जाएगी। यह सेवाएं तब ही ली जावें जब ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के पद पर पहले से किसी भी कार्मिक की सेवाएं नहीं ली गई है या यदि ली गई है तो वह अपर्याप्त है।

6. एमआईएस में डाटा फीडिंग करने, मस्टररोल के श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने, उनके द्वारा किये गये कार्य की माप, मजदूरी की दर, कुल मजदूरी एवं वेजलिस्ट तैयार करने का कार्य इस विभाग के पत्र दिनांक 09.08.2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सी.एस.सी. या किसी अन्य बाहरी एजेन्सी के माध्यम से भी करवाया जा सकता है।

7. यदि किसी जिले या पंचायत समिति में सेवा एजेन्सी अब तक निर्धारित नहीं की गई है तो समय अभाव को देखते हुए सेवा एजेन्सी से सेवाएं लेने की प्रकिया सीमित निविदा के माध्यम से की जा सकती है।

8. सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28.07.2008 की शर्तो के अनुसार ली जा सकेगी। इन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25.07.2011 के अनुसार अधिकतम रूपये 6500/– प्रतिमाह दिया जा सकता है।

आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि श्रमिकों को भुगतान निर्धारित अवधि में किया जावे। आप यह सुनिश्चित करें कि स्टॉफ की कमी की वजह से भुगतान में विलम्ब नहीं हो। यदि श्रमिकों का नियोजन बहुत अधिक है तो उपरोक्तानुसार अतिरिक्त स्टॉफ लगाकर कार्यवाही की जावे। इस आदेश की पालना में आप द्वारा की गई कार्यवाही की पालना भी इस विभाग को भिजवावें।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय)/परि. निदे./मुख्य लेखाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस